:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (RAS)

मुकदमा नम्बर 43/19 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक:– 22 / 10 / 2020

1. श्री लखमा पिता खुमा उर्फ खोमा जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी लीखीछोटी तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. श्री लाला पिता नाथा
2. श्री हेमा पिता नाथा
3 जमकु पिता नाथा
4. कंगु पिता नाथा
5. रूखी पिता नाथा
6. प्रथी पिता शिवा

7 गली पिता शिवा उम्र व्यस्क निवासीयान लीखीछोटी तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

8 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दूरस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी

2 प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

:: निर्णय :: दिनांक 22 / 10 / 2020

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी गॉव लीखीछोटी का निवासी है वादी/प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि गॉव लीखीबडी एव लीखीछोटी तहसील सीमलवाडा में स्थित है गॉव लीखीछोटी के जमाबन्दी खाता सख्या 80 के कुल खसरा किता 18 का कुल रकबा 46.19 बीधा भूमि में वादी/प्रार्थी का नाम लखमा पिता खुमा डामोर दर्ज रिकार्ड है। जो सही एवं दस्तावेजी नाम है। जबकि वादी/प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि गॉव लीखीबडी के खाता सख्या 152 में स्थित होकर इसका खसरा नम्बर 622 का रकबा 4.12 बीधा भूमि है जिसमें वादी/प्रार्थी का नाम नाना पिता खोमा दर्ज कर लिया है जबकि वादी/प्रार्थी अपने पिता की छोटी सन्तान होने के कारण वादी/प्रार्थी को घर पर नाना के नाम से पुकारा जाता था जिस कारण उक्त खाते में प्रार्थी का नाम नाना पिता खोमा दर्ज कर लिया है जबकि वादी/प्रार्थी का सही एवं वास्तवीक दस्तावेजी नाम लखमा पिता खोमा उर्फ खुमा है जबकि उक्त खाते में वादी/प्रार्थी का नाम नाना पिता खोमा दर्ज कर लिया है जिस कारण वादी/प्रार्थी को कई परेशानीयो का सामना करना पड रहा है.।यह कि राजस्व कर्मीयो द्वारा वादी/प्रार्थी के

उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा जि० डूंगरपुर

दस्तोवजी नाम का पता किए बिना, बिना किसी दस्तावेज लिए गॉव लीखीबडी के खाता सख्या 152 के खसरा सख्या 622 का रकबा 4.12 बीघा में वादी/प्रार्थी का नाम नाना पिता खोमा दर्ज कर लिया है जो दुरस्त किया जाना आवश्यक है।यह कि वादी/प्रार्थी द्वारा दिनांक 09/01/2019 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट के उक्त खाते में वादी/प्रार्थी का दस्तावेजी नाम लखमा दर्ज नहीं कर, घरेलू नाम नाना दर्ज कर लिया है जो गलत दर्ज होने के कारण, दस्तावेजी नाम लखमा दर्ज किया जाना आवश्यक होने से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है तथा निरन्तर उत्पनन्न हो रहा है। यह कि वादी/प्रार्थी के सभी दस्तावेज, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदातापहचानपत्र एवं गॉव लीखीछोटी के जमाबन्दी खाता सख्या 80 में वादी/प्रार्थी का नाम लखमा पिता खुमा डामोर दर्ज है जो प्रार्थी/वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम है ऐसे मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, वादी के पक्ष में हैं ऐसे में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम नाना के स्थान पर लखमा नहीं किया गया तो प्रार्थी/वादी को अपूरणीय क्षती होगी। अतः वादी का वाद वादी के पक्ष में स्वीकार किया जा कर निम्न आश्य का आदेश एवं डिक्री पारित की जावे। क— कि गॉव लीखीबडी तहसील सीमलवाडा के जमाबन्दी संवत् 2073/76 के खाता सख्या 152 के खसरा सख्या 622 का कुल रकबा 4.12 बीघा में कृषि भूमि में प्रार्थी/वादी का नाम नाना पिता खोमा के स्थान पर लखमा पिता खोमा दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से वादी लखमा एवं वालम कें बयान लेखबद्ध किए गए। वादी का वादपत्र, वादपत्र कें समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, एवं बयान का अवलोकन किया गया, ऐसे में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः गॉव लीखीबडी तहसील सीमलवाडा के खसरा सख्या 622 का कुल रकबा 4.12 बीघा में कृषि भूमि में प्रार्थी/वादी का नाम नाना पिता खोमा के स्थान पर लखमा पिता खोमा दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश के पालना कर अवीलम्ब न्यायालय में रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जि० धम्बोला

आज दिनांक 22/10/2020, को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जि० धम्बोला

मुल वाद में प्राथमिक डिकरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी :—अनिल कुमार (RAS)

मूकदमा नम्बरः— 43/19 राजस्व वाद

निर्णय दिनांकः— 22/10/2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उप. और प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।गॉव लीखीबडी तहसील सीमलवाडा के खसरा सख्या 622 का कुल रकबा 4.12 बीघा में कृषि भूमि में प्रार्थी/वादी का नाम नाना पिता खोमा के स्थान पर लखमा पिता खोमा दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर अवीलम्ब न्यायालय में रिपोर्ट पेश करे।

यह आज दिनाक 22/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु० धम्बोला

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खर्चा गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु० धम्बोला